GOVERNMENT OF RAJASTHAN TRANSPORT DEPARTMENT

No. F 7(3) pari/rules/hq/ 95/II/ 16763

Jaipur, Date: 3/10/2016

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2016, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 28 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3(Kha) dated 27.04.2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ten days from the date on which the copies of this notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 13.05.2016

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) subsection (2) of section 28 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Insertion of new rule 2.7A.- After the existing rule 2.7 and before the existing rule 2.8 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, following new rule 2.7A shall be inserted, namely:-
- **"2.7A. Evidence as to correctness of address.-** Bhamashah card issued by the State Government shall also be an evidence as to correctness of address in addition to documents specified in rule 4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989."

By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to the Government

Jaipur, Dated: 31 18/2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 2. P.S. to Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 4. S.A. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
- 5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
- 6. P.S. to Principal Secretary and Transport Commissioner to the Government of Rajasthan, Jaipur.
- 7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
- 8. Law (Cordification) Department, Jaipur.
- 9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
- 10. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
- 11. All Regional/Addl. Regional /District Transport Officers.
- 12. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
- 13. Guard file.

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

क्रमांकः प.७(३)परि/नियम/मु./95/॥/ /८ २५३

जयपुर, दिनांकः 31/8/2016

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28 की उप—धारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2016 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा—प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, 10 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप—धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 27.04.2016 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 13.05.2016 को उपलब्ध करा दी गयीं थीं। और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28 की उप—धारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नये नियम 2.7क का अन्तःस्थापन.— राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के विद्यमान नियम 2.7 के पश्चात् और विद्यमान नियम 2.8 के पूर्व, निम्नलिखित नथा नियम 2.7क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"2.7क. पते के सही होने के बारे में साक्ष्य.— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया भामाशाह कार्ड भी पते के सही होने के बारे में साक्ष्य होगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ.मनीषा अरोड़ा) संयुक्त शासन सचिव (मु.) क्रमांकः एफ-7(3)परि/नियम/एचक्यू/98/II / 16764-76 जयपुर,दिनांकः 31/8/2016 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकमें प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3.विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4.विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 5.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
- 6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
- 7.महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
- ८.विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
- 9.समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
- 10.श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
- 11.प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त ।
- 12.समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
- 13.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(मु.)